

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट झालावाड

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 30/2020 (राज0 गुण्डा अधि0) राजस्थान सरकार बनाम अफरोज

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2020/00042)

राजस्थान सरकार जयें थानाधिकारी थाना गंगधार पुलिस अधीक्षक झालावाड

सायल...

बनाम

अफरोज पिता महफूज खान जाति मुसलमान निवासी चौमहला थाना गंगधार

गैरसायल..

इस्तगासा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1973 की धारा 3 के अन्तर्गत
कार्यवाही बाबत ।

उपस्थित :

- 1 सायल की ओर से अभियोजन अधिकारी
- 2 गैर सायल की ओर से अधिवक्ता श्री रामबिलास राठौर
निर्णय

दिनांक 24.02.2021

- 1 यह इस्तगासा थानाधिकारी गंगधार द्वारा जयें पुलिस अधीक्षक झालावाड राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1973 की धारा 3 के अन्तर्गत अफरोज पिता महफूज खान जाति मुसलमान निवासी चौमहला थाना गंगधार के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु न्यायालय में पेश किया गया है।
- 2 संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि थानाधिकारी गंगधार द्वारा जयें पुलिस अधीक्षक झालावाड द्वारा गैरसायल अफरोज पिता महफूज खान जाति मुसलमान निवासी चौमहला थाना गंगधार के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत निष्कासन हेतु उनके पत्र संख्या 491 दिनांक 13.02.2020 द्वारा इस्तगासा न्यायालय इस आशय का पेश किया गया कि गैर सायल आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिसके विरुद्ध थाना गंगधार जिला झालावाड में निम्न मुकदमें दर्ज है :-

क्र0स0	इस्तगासा पेश करने की दिनांक	धारा	प्रकरणों की स्थिति
1	187 / 30.10.2017	13 आरपीजीओ	100/- जमानत
2	109 / 25.06.2018	13 आरपीजीओ	100/- जमानत
3	136 / 17.08.2018	13 आरपीजीओ	100/- जमानत

उक्त तीनों प्रकरणों में न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है। इसके बावजूद भी वह अन्य अवैध कार्य एवं लडाई झगडा, मारपीट आदि आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहता है। गैर सायल की आम शोहरत यह है कि यह इतना कुख्यात एवं दुःसाहसी, है कि आमजन इसकी अपराधों की रिपोर्ट करने या इसके विरुद्ध गवाही देने से डरते हैं, इस कारण इसके द्वारा किये जा रहे अपराध रिकार्ड पर दर्ज नहीं हो रहे हैं। इसका स्वच्छन्द रहना समाज के लिए परिसंकटमय है। अतः गैर सायल के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

- 3 प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जर्ज नोटिस तलब किया गया। गैर सायल निर्धारित दिनांक को उपस्थित हुआ गैर सायल की ओर से वकील श्री रामबिलास राठौर द्वारा वकालतनामा पेश कर जवाब पेश किया गया। प्रक्रिया पूर्ण होने पर बहस अभिभाषक उभय पक्ष सुनी गई।
- 4 परोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में इस्तगासे में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गैर सायल अवैध कार्य एवं लडाई झगडा, मारपीट आदि आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहता है। गैर सायल की आम शोहरत यह है कि यह इतना कुख्यात एवं दुःसाहसी, है कि आमजन इसकी अपराधों की रिपोर्ट करने या इसके विरुद्ध गवाही देने से डरते हैं इस कारण इसके द्वारा किये जा रहे अपराध रिकार्ड पर दर्ज नहीं हो रहे हैं। इसका स्वच्छन्द रहना समाज के लिए परिसंकटमय है। अतः गैर सायल के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।
- 5 वकील गैर सायल द्वारा अपनी बहस में प्रस्तुत किये गये जवाब को दोहराते हुए अनुरोध किया गया कि गैर सायल एक गरीब व्यक्ति है तथा मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा है, गैर सायल ने उसके विरुद्ध दर्ज प्रकरणों को स्वीकार कर, इस्तगासे के जुर्म को स्वीकार किया। अब वह शांति पूर्वक जीवन यापन कर रहा है, अब भविष्य में कभी भी अपराध नहीं करेगा। गैर सायल की परिस्थितियों को देखते हुए नरमी का रूख अपनाते हुए प्रकरण ड्राप फरमाने की कृपा करें
- 6 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।
- 7 हमने पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख) में गुण्डा शब्द को परिभाषित किया गया है उक्त धारा के खण्ड (v) में उपबन्धित अनुसार राजस्थान सार्वजनिक जुआ अध्यादेश (13 आरपीजीओ) के अधीन 2 से अन्यून बार दोष सिद्ध व्यक्ति "गुण्डा" अभिप्रेत है। हस्तगत प्रकरण में समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रमाणित होता है कि गैर सायल के विरुद्ध कुल 3 प्रकरण धारा 13 आरपीजीओ में दण्डनीय दर्ज हुए हैं, जिनमें सभी में गैर सायल को दोष सिद्ध कर न्यायालय द्वारा जुर्माना अधिरोपित किया गया है। अतः इस्तगासे में प्रस्तुत दस्तावेजात व साक्ष्यों एवं गैर सायल के द्वारा जुर्म स्वीकार करने के आधार पर इस्तगासा स्वीकार किया जाकर राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम

की धारा 3 के अर्न्तगत सन्तुष्ट होकर मैं गैर सायल को गुण्डा घोषित करता हूँ और निम्न आदेश पारित करता हूँ।

8

आदेश

अफरोज पिता महफूज खान जाति मुसलमान निवासी चौमहला थाना गंगधार को दिनांक 01.03.2021 से 90 दिन (दिवस) के लिए जिला झालावाड़ की सीमाओ से निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस अवधि मे गैरसायल पुलिस थाना मुरलीपुरा जिला जयपुर के थानाधिकारी को प्रतिदिन थानाधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समय पर उपस्थित होकर अपनी गतिविधियों की सूचना देता रहेगा। गैर सायल न तो कोई घातक हथियार अपने पास रखेगा और ना ही काम मे लेगा, ना किसी प्रकार के मादक द्रव्य मदिरा, अफीम, गोंजा, चरस, भांग आदि का या विस्फोटक या ज्वलनशील वस्तु का कब्जा अपने पास रखेगा। किसी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था, मेला हाट आदि के समीपस्थ दूरी के भीतर उपस्थित नही होगा। थानाधिकारी गंगधार गैर सायल को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को थाना मुरलीपुरा जिला जयपुर की सीमाओ में पहुँचाने की व्यवस्था करें।

थानाधिकारी थाना मुरलीपुरा जिला जयपुर गैर सायल की उनके यहाँ उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवायेगे। निष्कासन की अवधि समाप्त होने पर थानाधिकारी थाना मुरलीपुरा जिला जयपुर, गैर सायल के वापस लौटने की सूचना थानाधिकारी गंगधार जिला झालावाड़ एवं इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। संबंधित थानाधिकारी को तहरीर जारी की जावे तथा प्रति सूचनार्थ जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़/जयपुर एवं पुलिस अधीक्षक झालावाड़/जयपुर को दी जावे।

(दाताराम)

अतिरिक्त जिला कलक्टर

झालावाड़

9 निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दाताराम)

अतिरिक्त जिला कलक्टर

झालावाड़